महत्वपूर्ण / समयबद्ध

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टॉवर–2, सिग्नेचर बिल्डिंग (पुलिस भवन), गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

पत्र संख्याः डीजी–49/2019 दिनांकः नवम्बर 22, 2019

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश,पुलिस।

वर्तमान में कुछ ऐसे दृष्टांत सामने आये है जो नीतिगत मामलों से संबंधित प्रस्ताव बिना मेरे संज्ञान में लाये तथा बिना व्यापक विचार विमर्श किये ही पुलिस मुख्यालय प्रेषित किये गये है। ऐसे नीतिगत मामलों से संबंधित प्रस्ताव यदि मेरे अनुमोदन के बगैर शासन को प्रेषित किये जाते है तो शासन द्वारा मुझ से की गयी प्रेक्षाओं पर असहज स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में शासन द्वारा भी समय समय पर निर्देश दिये गये है कि जो भी प्रस्ताव प्रेषित किये जाय वे मेरे अनुमोदनोपरान्त ही प्रेषित किये जाय।

अतः उक्त सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है :–

1– जो भी प्रस्ताव प्रेषित किया जाय वह मेरे अनुमोदनोपराप्न्त ही प्रेषित किया जाय ।

2– प्रत्येक प्रस्ताव के अन्त में यह लिखा जाना आवश्यक है कि "उपरोक्त प्रस्ताव से पुलिस महानिदेशक सहमत है" अथवा "इस प्रस्ताव पर पुलिस महानिदेशक से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है"।

इसी के साथ आपका ध्यान मैं अपने परिपत्र संख्या–डीजी–परिपत्र–63 / 2015 दिनॉकित 12.09.2015 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जिसके माध्यम से मेरे द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि किसी भी योजना,संसाधन,कार्मिक,भूमि या अन्य वित्तीय प्रकरणों से संबंधित किसी भी इकाई / शाखा के प्रस्ताव परीक्षणोंपरान्त सम्पूर्ण सूचनाओं / अभिलेखों सहित उपलब्ध कराये जाय एंव अनुमोदनोंपरान्त ही प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाय।

अतः अनुरोध है कि भविष्य में उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

22/11/19

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner